भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3939
गुरूवार, 6 अप्रैल, 2023/16 चैत्र, 1945 (शक)

रोजगार सृजन के लिए योजनाएं

3939. श्री मस्थान राव बीडाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रोजगार सृजन संबंधी योजनाओं की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसी योजनाओं से वास्तव में देश में बेरोजगारी में कमी हुई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना बनाना चाहती है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं**?**

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने सहित देश भर में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों में केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 11.03.2023 तक, इस योजना के तहत 60.31 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। योजना की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार प्रगति अनुबंध-I पर है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। योजना की राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश-वार प्रगति अनुबंध-II पर है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दिनांक 24.02.2023 तक, अप्रैल 2015 के आरंभ से 22.41 लाख करोड़ रुपए के 39.65 करोड़ ऋणों की स्वीकृति दी गई और 21.83 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। योजना की शुरुआत के बाद से राज्य-वार आंकड़े अनुबंध-III पर हैं।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं जिससे 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति का विवरण अनुबंध-IV-VII में दिया गया है।

आवास और शहरी मामले मंत्रालय, सतत आधार पर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और इस जोखिम को कम करने के लिए "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ, इस मिशन का उद्देश्य, कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट (ईएसटी एंड पी) द्वारा रोजगार के तहत बाजार उन्मुख पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी गरीबों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना है। साथ ही, शहरी गरीब व्यक्तियों/समूहों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीसी) को लाभकारी स्व-रोजगार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों अर्थात 2017-18 से 2021-22 के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियुक्त कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों और व्यक्तिगत/सामूहिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या तथा इसके अंतर्गत जारी केंद्रीय राशि का राज्य-वार दर्शाता एक विवरण अनुबंध-VIII-IX पर दिया गया है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 06.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3939 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 11.03.2023 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आंकड़े (राज्यवार)

राज्य का नाम	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)	लाभ की राशि (करोड़ रुपये में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	477	36	11,165,459	1.12
आंध्र प्रदेश	166,508	4,036	2,754,020,888	275.40
अरुणाचल प्रदेश	514	17	9,556,314	0.96
असम	19,830	662	289,915,202	28.99
बिहार	28,261	1209	622,722,622	62.27
चंडीगढ़	64,656	1,579	915,415,119	91.54
छत्तीसगढ़	84,986	2,938	1,458,670,675	145.87
दिल्ली	226,970	3,137	2,860,056,132	286.01
गोवा	20,895	540	284,967,112	28.50
गुजरात	642,823	15,532	8,894,606,105	889.46
हरियाणा	398,782	7,622	5,415,863,018	541.59
हिमाचल प्रदेश	83,227	2,158	1,209,264,971	120.93
जम्मू और कश्मीर	19,355	888	411,703,368	41.17
झारखंड	62,664	2,242	1,113,527,475	111.35
कर्नाटक	485,222	10,982	7,600,021,766	760.00
केरल	96,136	2,726	1,687,054,516	168.71
लद्दाख	190	17	3,108,740	0.31
मध्य प्रदेश	205,261	6,230	3,348,208,591	334.82
महाराष्ट्र	976,469	22,403	13,202,677,393	1,320.27
मणिपुर	1,689	57	23,915,800	2.39
मेघालय	1,210	38	43,674,485	4.37
मिजोरम	377	15	13,870,410	1.39
नागालैंड	234	17	4,460,700	0.45
ओडिशा	89,184	4,187	1,693,732,726	169.37
पंजाब	170,624	6,525	3,081,915,967	308.19
राजस्थान	325,717	11,451	4,937,428,973	493.74
सिक्किम	3,764	112	67,509,718	6.75
तमिलनाडु	815,757	16,695	10,308,341,547	1,030.83
तेलंगाना	281,989	5,369	3,491,724,408	349.17
त्रिपुरा	5,440	150	90,766,621	9.08
उत्तर प्रदेश	432,047	12,381	7,448,963,077	744.90
उत्तराखंड	93,348	2,417	1,368,560,130	136.86
पश्चिम बंगाल	226,962	7,681	3,382,827,273	338.28
योग	**6,031,568**	**152,049**	**88,050,217,301**	**8,805.02**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई।

अनुबंध-II

राज्य सभा के दिनांक 06.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3939 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 13.03.2023 तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के लिए लाभार्थियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आंकड़ें

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत आवेदन			संवितरण			संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)		
		वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22- 23	वि.व. 20-21	FY 21-22	FY 22- 23	वि.व. 20-21	वि.व. 21-22	वि.व. 22- 23
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	395	142	245	387	146	176	0.39	0.20	0.38
2	आंध्र प्रदेश	117,852	86,981	59,636	112,747	81,486	42,091	112.05	92.39	76.04
3	अरुणाचल प्रदेश	1,839	892	2,295	1,588	1,101	1,327	1.59	1.30	2.07
4	असम	15,817	46,522	25,712	14,157	42,502	17,819	14.12	44.49	27.23
5	बिहार	33,893	23,403	15,927	28,862	19,425	8,607	28.49	20.04	14.38
6	चंडीगढ़	2,148	1,591	1,863	2,051	1,591	1,717	2.04	1.77	3.07
7	छत्तीसगढ	41,021	10,783	14,241	40,296	9,208	9,946	39.93	11.98	17.77
8	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	1,121	164	734	1,029	228	252	1.03	0.24	0.44
9	दिल्ली	33,069	11,668	41,305	31,169	11,052	24,137	30.95	11.55	32.63
10	गोवा	1,028	429	548	1,017	391	402	1.01	0.56	0.89
11	गुजरात	106,708	119,026	113,504	102,351	111,473	89,586	101.61	127.98	147.82
12	हरियाणा	17,807	14,670	13,261	16,943	11,573	10,752	16.78	13.70	18.08
13	हिमाचल प्रदेश	2,812	1,242	2,022	2,767	1,240	1,758	2.76	1.88	3.97
14	जम्मू और कश्मीर	11,895	3,927	5,202	11,514	4,011	4,367	11.50	5.31	8.75
15	झारखंड	22,551	9,998	11,299	22,031	8,370	6,406	21.90	9.89	11.02
16	कर्नाटक	114,450	53,462	82,521	107,979	45,173	57,368	107.61	56.73	100.75
17	केरल	8,142	3,387	5,604	8,052	3,361	4,454	8.00	5.34	8.88
18	लद्दाख	249	78	220	247	73	191	0.25	0.13	0.41
19	मध्य प्रदेश	324,161	206,159	201,502	313,909	199,257	157,108	312.09	241.76	277.15
20	महाराष्ट्र	169,517	49,132	314,895	149,131	60,446	178,846	148.15	72.59	226.27
21	मणिपुर	6,773	1,878	3,634	6,094	2,498	1,282	6.09	2.60	2.36
22	मेघालय	266	394	1,040	253	383	780	0.25	0.41	0.95
23	मिजोरम	446	132	99	442	134	78	0.44	0.23	0.17
24	नागालैंड	1,214	465	639	1,202	467	382	1.20	0.63	0.64
25	ओडिशा	29,262	12,958	17,624	27,489	8,835	8,445	27.17	10.36	15.85
26	पुडुचेरी	1,202	169	640	1,130	226	458	1.13	0.34	0.87
27	पंजाब	29,474	12,478	13,350	26,663	13,180	10,066	26.43	13.66	17.23
28	राजस्थान	55,767	14,484	34,175	50,330	16,948	7,973	50.16	17.01	14.18
29	सिक्किम	-	1	1	-	1	-	-	0.00	-
30	तमिलनाडु	110,387	75,895	70,852	87,716	77,713	53,564	87.20	79.39	90.78
31	तेलंगाना	330,587	76,515	118,670	310,500	87,338	79,594	307.05	139.98	160.87
32	त्रिपुरा	2,622	1,123	1,103	2,600	732	601	2.59	0.94	1.10
33	उत्तर प्रदेश	594,333	215,337	349,459	563,992	236,200	304,805	555.22	248.15	486.06
34	उत्तराखंड	9,258	2,020	7,287	9,111	1,902	6,321	9.07	2.41	10.79
35	पश्चिम बंगाल	5,218	9,609	5,538	2,379	11,179	1,718	2.36	11.03	2.50
योग		**2,203,284**	**1,067,114**	**1,536,647**	**2,058,128**	**1,069,843**	**1,093,377**	**2,038.60**	**1,246.98**	**1,782.34**

स्रोतः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अनुबंध-III

राज्य सभा के दिनांक 06.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3939 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) - राज्यवार रिपोर्ट

(राशि करोड़ रुपये में)				
		संचयी (दिनांक 08.04.2015 से 24.02.2023 तक)		
क्र.सं.	राज्य का नाम	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	47,781	881	860
2	आंध्र प्रदेश	72,11,771	82,011	78,535
3	अरुणाचल प्रदेश	85,250	1,002	965
4	असम	98,48,732	48,662	47,397
5	बिहार	4,08,27,316	1,78,161	1,70,384
6	चंडीगढ़	1,64,477	2,685	2,597
7	छत्तीसगढ	77,57,011	42,400	40,664
8	दादरा और नगर हवेली	24,463	326	318
9	दमन और दीव	7,190	172	155
10	दिल्ली	28,88,554	31,738	30,993
11	गोवा	3,07,226	3,935	3,732
12	गुजरात	1,19,89,553	89,612	88,063
13	हरियाणा	75,17,372	51,747	50,184
14	हिमाचल प्रदेश	8,51,803	16,059	15,139
15	झारखंड	1,13,64,863	53,644	52,137
16	कर्नाटक	3,75,22,159	2,05,483	2,01,831
17	केरल	1,30,36,474	80,692	79,331
18	लक्षद्वीप	7,546	103	95
19	मध्य प्रदेश	2,41,70,978	1,26,306	1,22,119
20	महाराष्ट्र	3,17,44,002	1,87,425	1,83,715
21	मणिपुर	4,35,359	2,576	2,416
22	मेघालय	2,30,936	2,040	1,986
23	मिजोरम	1,08,029	1,611	1,500
24	नागालैंड	1,11,855	1,457	1,348
25	ओडिशा	2,62,16,340	1,03,397	1,00,674
26	पुडुचेरी	10,05,198	5,776	5,694
27	पंजाब	77,93,939	56,449	54,553
28	राजस्थान	1,72,77,732	1,22,221	1,19,727
29	सिक्किम	1,33,510	1,213	1,171
30	तमिलनाडु	4,56,31,509	2,20,765	2,18,101
31	तेलंगाना	57,88,869	50,651	49,577
32	त्रिपुरा	25,43,011	12,952	12,663
33	उत्तर प्रदेश	3,80,48,454	2,09,216	2,01,897
34	उत्तराखंड	25,32,797	22,165	21,426
35	पश्चिम बंगाल	3,98,59,476	1,94,754	1,90,821
36	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	13,83,857	30,031	29,289
37	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	40,461	1,277	1,256
	योग	**39,65,15,853**	**22,41,597.30**	**21,83,313.45**
स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार				

अनुबंध-IV

राज्य सभा के दिनांक 06.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3939 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदर्शन

क्र.सं.	राज्य	वितरित मार्जिन राशि (लाख रुपये में)	अनुमानित सृजित रोजगार	वितरित मार्जिन राशि (लाख रुपये में)	अनुमानित सृजित रोजगार	वितरित मार्जिन राशि (लाख रुपये में)	अनुमानित सृजित रोजगार	वितरित मार्जिन राशि (लाख रुपये में)	अनुमानित सृजित रोजगार	वितरित मार्जिन राशि (लाख रुपये में)	अनुमानित सृजित रोजगार
		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	276.95	1744	318.52	1832	146.16	744	186.12	1240	238.69	1296
2	आंध्र प्रदेश	5336.1	12216	9046.31	17760	9042.34	17536	6857.3	13392	10088.8	19816
3	अरुणाचल प्रदेश	309.42	1672	419.88	2240	363.79	1688	232.63	784	788.88	1568
4	असम	2362.48	18256	4167.41	29896	3589.39	20824	4948.48	23512	6659.71	30840
5	बिहार	6558.85	18456	9842	26424	6958.68	17768	7208.74	17536	8169.92	19816
6	छत्तीसगढ	3398.4	11704	6784.52	24752	6107.03	22488	6062.77	21744	6941.44	24160
7	दिल्ली	150.65	920	157.13	1056	110.63	744	147.61	592	315.23	800
8	गोवा	149.07	400	237.23	624	244.36	720	156.65	464	298.22	696
9	गुजरात*	12883.63	15008	25443.87	28000	28740.29	31864	20637.05	22832	28704.84	33144
10	हरियाणा	4167.04	13744	5178.43	17320	4938.21	16232	5512.55	13920	6093.33	13808
11	हिमाचल प्रदेश	2042.5	7088	4135.61	11192	3229.32	9808	3381.1	9664	3550.95	10192
12	जम्मू और कश्मीर	6913.15	30024	15222	60232	11142.86	42840	18306.28	68600	46713.54	173184
13	झारखंड	2439.53	8888	4535.69	14376	3749.79	12352	3847.8	12176	4188.27	13712
14	कर्नाटक	6477.94	16920	10725.32	29256	10681.14	29576	12510.51	35504	15843.36	47016
15	केरल	2910.44	10776	5383.93	19888	5319.39	19368	5225.88	19112	6859.29	22312
16	लक्षद्वीप	00	00	0	0	0	0	15.36	24	17.5	56
17	मध्य प्रदेश	7631.41	14432	10002.28	20208	8046.65	17344	13807.82	38832	20961.46	64656
18	महाराष्ट्र **	8749.73	26632	15272.02	45136	11215.23	35232	8844.29	24832	13018.54	33024
19	मणिपुर	1383.87	4800	2041.06	10328	2036.3	9384	5899.03	12448	3337.25	9112
20	मेघालय	118.27	600	587.14	3120	569.17	3016	579.65	2872	974.17	5592
21	मिजोरम	274.05	1992	1514.9	8984	1083.78	6080	1412.46	6480	1461.76	5200
22	नगालैंड	2672.15	7440	2349.67	9664	2650.24	8872	2045.47	5920	2494.89	9928
23	ओडिशा	5680.65	19192	7856.18	24560	7808.85	21744	8748.07	25368	11335.95	34408
24	पुडुचेरी	78.95	352	150.7	608	117.26	512	116.81	352	144.3	528
25	पंजाब	3930.46	12160	4766.68	14408	3914.83	13560	5011.41	13216	5996.61	14288
26	राजस्थान	4929.04	12616	7199.28	18872	8174.68	24200	8806.83	22176	9022.15	20776
27	सिक्किम	46.36	296	112.35	440	174.56	632	152.28	456	214.27	680
28	तमिलनाडु	9717.58	32760	13290.95	41480	12347.58	41376	13881.57	41504	16445.76	47776
29	तेलंगाना	4030.21	9520	7180.89	16408	7137.38	17424	6376.33	16200	9846.14	23248
30	त्रिपुरा	1892.3	8928	2314.24	9432	1833.64	7696	1829.57	6736	2083.7	7664
31	यूटी चंडीगढ़	90.07	360	63.91	224	28.71	112	16	80	62.08	168
32	उत्तर प्रदेश	16866.47	43456	19033.28	41944	21652.48	48960	32985.38	79952	41165.07	100752
33	उत्तराखंड	2880.98	12904	4098.38	17448	3440.03	14752	4536.62	17992	3983.2	14688
34	पश्चिम बंगाल	3891.37	10928	7568.78	19304	8487.4	17776	7425.32	16560	8539.63	18440
35	यूटी लद्दाख							1168.41	2248	1182.31	2360
	योग	**131240.07**	**387184**	**207000.54**	**587416**	**195082.15**	**533224**	**218880.15**	**595320**	297741.21	825752

*** दमन और दीव सहित, ** दादरा और नगर हवेली सहित**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा के दिनांक 06.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3939 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच और चालू वर्ष के दौरान दिनांक 28.02.2023 तक आरएसईटीआई के तहत प्रशिक्षित और नियुक्त अभ्यर्थियों का राज्यवार विवरण

	राज्य का नाम	वि.व. 2017-18		वि.व. 2018-19		वि.व. 2019-20		वि.व. 2020-21		वि.व. 2021-22		वि.व. 2022-23 फरवरी, 2023 तक	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	497	439	494	270	489	316	318	135	412	381	421	306
2	आंध्र प्रदेश	12465	10683	10645	8790	9884	7179	5002	3836	7817	6522	10139	7127
3	अरुणाचल प्रदेश	345	153	360	70	211	294	18	57	225	0	312	193
4	असम	14262	11305	13087	9678	11922	7680	7208	5145	10017	8335	13144	7888
5	बिहार	28411	24863	26688	19255	24961	18393	14868	10817	21268	14330	26104	18905
6	छत्तीसगढ़	12651	9707	12735	9981	12146	8209	7003	4927	10030	7257	11398	9130
7	दादरा एवं नगर हवेली	606	406	775	553	763	509	560	437	561	447	712	411
8	गुजरात	22359	22219	21470	16755	20447	14075	11233	7859	15993	12863	19080	13429
9	हरियाणा	15496	11032	15267	8702	14391	10493	11301	6744	11045	8176	12243	6560
10	हिमाचल प्रदेश	5753	4727	5499	4085	4949	3541	3227	2019	4750	3208	5504	3220
11	जम्मू और कश्मीर	9504	7498	9308	6727	8662	7022	4552	3955	5277	4148	6956	5103
12	झारखंड	17660	14596	17969	12033	15911	12630	11467	7982	13725	10828	16019	8455
13	कर्नाटक	27515	26914	26041	20434	24676	20257	16333	12649	18332	17059	22895	16211
14	केरल	11582	11282	10532	9422	10236	9610	5090	4752	5980	5801	8946	6623
15	लक्षद्वीप	10	0	0	0	36	0	162	98	139	34	452	228
16	मध्य प्रदेश	36179	24612	35194	22858	31521	20982	19180	15530	22956	18490	28741	19539
17	महाराष्ट्र	26143	23436	25671	19612	24614	19668	16559	13033	19606	15251	25104	16836
18	मणिपुर	465	310	382	268	495	351	287	277	364	301	846	571
19	मेघालय	1851	1042	1470	1287	1629	989	959	687	1649	868	1894	1031
20	मिजोरम	453	523	502	365	939	957	613	457	651	636	882	638
21	नागालैंड	380	294	355	517	356	202	199	118	338	272	385	317
22	ओडिशा	22173	18927	21803	17117	20489	14933	15321	11574	16049	13978	18278	14832
23	पुडुचेरी	782	859	850	626	762	543	583	420	568	485	786	677
24	पंजाब	11582	10706	10516	6797	9280	5605	7501	5489	9241	6972	9732	6997
25	राजस्थान	30641	22322	28602	21553	27023	18789	19904	12682	23160	19032	28057	20791
26	सिक्किम	432	314	389	206	364	489	202	134	203	146	353	261
27	तमिलनाडु	26805	22674	24226	19790	27112	17790	15233	12517	17187	14796	24173	17025
28	तेलंगाना	7145	5942	6864	5669	6435	5714	3703	2647	5413	5214	6669	5515
29	त्रिपुरा	3132	1926	2788	2345	2533	1775	1893	836	2274	1781	2546	1994
30	यूटी लद्दाख	0	0	0	0	603	233	408	328	535	384	489	293
31	उत्तर प्रदेश	54503	44515	52719	36600	50845	38070	41995	27673	52909	46948	50966	37904
32	उत्तराखंड	7156	5297	7322	5524	6765	5387	6383	4829	6258	4413	6659	4971
33	पश्चिम बंगाल	14405	10574	13149	8418	12576	8960	5876	4591	9182	7073	11295	7616
	योग :	**423343**	**350097**	**403672**	**296307**	**384025**	**281645**	**255141**	**185234**	**314114**	**256429**	**372180**	**261597**

स्रोत: एनएसीईआर

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

राज्य सभा के दिनांक 06.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3939 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिनांक 28.02.2023 तक आरएसईटीआई के तहत राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.स.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	447.95	128.18	391.83	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	96.39	357.76	75.80	64.76	0.00	637.36
5	बिहार	318.05	317.41	401.30	102.58	644.10	0.00
6	छत्तीसगढ	172.29	467.02	0.00	147.22	0.00	0.00
7	दादरा एव नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	45.24	0.00	0.00
8	गुजरात	255.42	498.16	327.85	322.72	0.00	2176.75
9	हरियाणा	0.00	288.75	241.97	0.00	0.00	450.72
10	हिमाचल प्रदेश	106.82	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	402.69	0.00	0.00
12	झारखंड	0.00	316.12	180.33	403.75	430.07	0.00
13	कर्नाटक	508.77	433.66	263.19	723.46	0.00	2017.36
14	केरल	0.00	152.57	216.27	162.48	0.00	0.00
15	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	1277.06	600.40	3542.63	0.00
17	महाराष्ट्र	378.97	313.88	237.85	1074.94	0.00	2647.82
18	मणिपुर	0.00	0.00	21.09	8.21	0.00	0.00
19	मेघालय	61.34	26.66	21.35	9.69	0.00	171.24
20	मिजोरम	15.17	0.00	0.00	19.81	0.00	0.00
21	नागालैंड	0.00	9.49	8.13	6.70	0.00	0.00
22	ओडिशा	0.00	1081.18	235.65	581.34	588.07	0.00
23	पुडुचेरी	0.00	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
24	पंजाब	164.59	169.62	64.28	193.10	305.05	966.27
25	राजस्थान	279.00	278.44	368.80	436.86	0.00	1322.91
26	सिक्किम	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
27	तमिलनाडु	0.00	309.31	552.56	528.35	0.00	0.00
28	तेलंगाना	0.00	134.74	134.90	795.20	0.00	0.00
29	त्रिपुरा	0.00	7.55	22.91	67.31	0.00	106.40
30	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	156.55	836.72	2852.93	0.00
31	उत्तराखंड	0.00	73.23	0.00	298.34	0.00	0.00
32	पश्चिम बंगाल	201.47	114.55	113.20	113.29	0.00	0.00
	योग	**2558.28**	**5908.59**	**5069.16**	**8336.99**	**8385.06**	**10496.83**

स्रोत: आरएस डिवीजन के अभिलेख

अनुबंध-VII

राज्य सभा के दिनांक 06.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3939 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत दिए गए रोजगार (सृजित मानव दिवस) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण।

क्र.स.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	सृजित मानव दिवस (लाख में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	2120.24	2465.64	2002.25	2593.24	2417.27
2	अरुणाचल प्रदेश	42.78	68.65	85.99	128.14	158.71
3	असम	480.68	532.47	623.06	911.53	915.96
4	बिहार	815.75	1231.80	1413.64	2276.27	1808.42
5	छत्तीसगढ	1199.29	1386.02	1361.75	1840.90	1692.30
6	गोवा	0.99	0.15	0.34	1.10	0.95
7	गुजरात	353.09	419.61	353.70	482.29	568.02
8	हरियाणा	90.37	77.90	91.19	179.62	146.39
9	हिमाचल प्रदेश	220.06	285.20	259.19	336.19	370.94
10	जम्मू और कश्मीर	370.90	368.15	313.41	407.01	406.26
11	झारखंड	592.74	536.59	641.95	1176.08	1132.29
12	कर्नाटक	857.00	1044.92	1118.63	1480.32	1632.39
13	केरल	619.59	975.26	802.30	1023.00	1059.66
14	लद्दाख	0.00	0.00	19.03	21.30	19.27
15	मध्य प्रदेश	1622.35	2029.27	1930.17	3420.21	2999.25
16	महाराष्ट्र	825.15	845.88	629.60	679.36	825.33
17	मणिपुर	61.25	117.39	234.07	330.52	304.90
18	मेघालय	291.88	342.15	370.22	383.70	393.63
19	मिजोरम	142.67	178.67	192.10	198.66	200.77
20	नागालैंड	199.81	132.69	138.48	180.12	192.58
21	ओडिशा	922.11	829.88	1113.89	2080.75	1977.65
22	पंजाब	223.11	204.47	235.25	376.75	331.48
23	राजस्थान	2397.74	2942.46	3286.55	4605.35	4242.96
24	सिक्किम	34.61	33.55	29.47	37.34	34.34
25	तमिलनाडु	2388.81	2576.97	2485.10	3339.46	3457.26
26	तेलंगाना	1147.73	1177.29	1071.14	1579.53	1457.93
27	त्रिपुरा	176.04	253.09	344.02	437.22	426.18
28	उत्तर प्रदेश	1814.66	2120.93	2443.55	3945.41	3256.57
29	उत्तराखंड	222.90	221.60	206.12	303.61	243.18
30	पश्चिम बंगाल	3125.56	3382.53	2723.05	4140.17	3642.27
31	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1.90	1.94	2.21	2.61	1.14
32	लक्षद्वीप	0.06	0.10	0.04	0.02	0.01
33	पुडुचेरी	7.26	6.65	7.65	10.57	6.15
34	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**23369.08**	**26789.87**	**26529.13**	**38908.33**	**36322.35**

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

राज्य सभा के दिनांक 06.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3939 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत किए गए व्यय (राज्य के हिस्से सहित) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	व्यय (राज्य के हिस्से सहित) (करोड़ रुपये में)				
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	आंध्र प्रदेश	6435.57	8308.62	5532.51	10900.61	7867.21
2	अरुणाचल प्रदेश	225.99	213.36	158.71	485.38	478.38
3	असम	1530.79	1338.47	1476.30	2348.18	2378.49
4	बिहार	2931.03	3204.55	3371.17	6425.62	6502.47
5	छत्तीसगढ	3312.02	3054.18	3009.92	4113.09	3980.91
6	गोवा	2.88	0.33	1.34	3.26	3.77
7	गुजरात	894.75	1098.39	965.23	1334.86	1735.72
8	हरियाणा	319.77	367.89	387.17	802.63	707.99
9	हिमाचल प्रदेश	567.97	849.53	708.98	988.96	1090.51
10	जम्मू और कश्मीर	1158.27	820.01	998.28	1529.47	1138.04
11	झारखंड	1529.27	1521.40	1699.98	3135.64	3335.80
12	कर्नाटक	2729.59	3604.17	4748.17	5599.96	6194.04
13	केरल	1902.32	2983.95	2702.55	3862.84	4020.43
14	लद्दाख	32.20	27.32	67.62	50.33	58.12
15	मध्य प्रदेश	4254.43	5404.92	4949.34	9142.28	8043.29
16	महाराष्ट्र	2308.14	2382.10	1821.32	1968.09	2410.55
17	मणिपुर	195.06	294.71	455.48	1052.69	924.00
18	मेघालय	1134.69	913.34	1098.39	1367.13	1127.24
19	मिजोरम	212.28	493.04	515.25	549.22	529.91
20	नागालैंड	969.64	244.31	393.68	442.79	539.08
21	ओडिशा	2513.17	2315.79	2836.94	5828.07	5988.19
22	पंजाब	638.18	669.80	767.36	1240.83	1279.18
23	राजस्थान	5148.60	5679.00	6701.74	9393.27	10462.60
24	सिक्किम	124.57	94.54	91.07	107.06	117.79
25	तमिलनाडु	6362.65	5766.95	5621.34	8423.40	9794.98
26	तेलंगाना	2787.46	3192.00	2193.32	4642.84	4076.68
27	त्रिपुरा	467.22	556.66	857.47	1062.27	1081.23
28	उत्तर प्रदेश	4530.21	5845.63	6053.14	12863.89	8767.42
29	उत्तराखंड	692.43	633.21	556.06	853.82	628.19
30	पश्चिम बंगाल	8027.12	8057.40	7480.91	10245.32	10895.20
31	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	6.62	5.73	4.59	6.68	6.21
32	लक्षद्वीप	0.21	0.26	0.11	0.06	0.04
33	पुडुचेरी	14.51	15.74	17.11	25.32	14.70
34	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**63959.59**	**69957.29**	**68242.54**	**110795.84**	**106178.33**

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

अनुबंध-IX

राज्य सभा के दिनांक 06.04.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3939 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीएवाई-एनयूएलएम (पिछले पांच वर्षों [2017-18 से 2021-22] के दौरान) के तहत नियुक्त कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों और व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या तथा जारी केंद्रीय राशि

क्र.स.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कौशल नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या	व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	केन्द्रीय जारी राशियां (₹ करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	66898	64031	283.69
2	अरुणाचल प्रदेश	949	74	25.83
3	असम	4800	3216	82.69
4	बिहार	6748	7584	104.50
5	छत्तीसगढ	14160	27626	87.44
6	गोवा	2743	234	17.63
7	गुजरात	39231	15148	166.27
8	हरियाणा	12224	3982	54.39
9	हिमाचल प्रदेश	2532	2519	36.96
10	जम्मू और कश्मीर	564	10413	26.60
11	झारखंड	32056	6744	107.06
12	कर्नाटक	1393	6637	71.61
13	केरल	13476	8022	131.16
14	मध्य प्रदेश	67217	51306	230.60
15	महाराष्ट्र	92509	35332	160.52
16	मणिपुर	422	7	16.71
17	मेघालय	1115	73	3.79
18	मिजोरम	3309	1403	56.52
19	नागालैंड	422	277	30.24
20	ओडिशा	461	25165	81.11
21	पंजाब	20437	5887	45.60
22	राजस्थान	11815	20695	177.56
23	सिक्किम	246	31	6.97
24	तमिलनाडु	10332	212217	444.06
25	तेलंगाना	15050	8584	159.97
26	त्रिपुरा	783	930	50.79
27	उत्तर प्रदेश	34400	44550	351.88
28	उत्तराखंड	5461	4948	31.12
29	पश्चिम बंगाल	21503	6767	172.38
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	4	0.28
31	चंडीगढ़	2758	74	10.57
32	दिल्ली	335	151	0.00
33	पुडुचेरी	56	347	12.11
34	लद्दाख	0	21	2.10
35	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0.17
	योग	**4,86,405**	**5,74,999**	**3,240.90**

स्रोतः आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय